E-MAIL

गोपनीय

संख्या-118/छ:वीजा-4-2022-01(वीजा-4)/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1-पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

गृह(वीजा)अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक, 21 जुलाई,2022

विषय:-उत्तर प्रदेश के निवासित भारतीय नागरिकों को वीजा निर्गत किये जाने के पूर्व उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के निवासित भारतीय नागरिकों को उनके आवासीय स्थिति, रोजगार या दीर्घकालिक वीजा या आव्रजन के आवेदन के संबंध मे वीजा निर्गत किये जाने के पहले उनके चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत का परीक्षण तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

किसी व्यक्ति का चरित्र एवं पूर्ववृत परीक्षण सत्यापित नही माना जायेगा, यदि:

(i) व्यक्ति का पर्याप्त आपराधिक इतिहास है ; या

(ii) व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है: या

(iii) जब वह व्यक्ति अप्रवासन हिरासत में रहा था; या

(iv) अप्रवासन निरोध से व्यक्ति भागा था; या

(v) व्यक्ति के विरूद्ध आर्थिक अपराध या किसी ऐसे अभियोग की विवेचना अथवा विचारण प्रचलित है जिसमें 3 वर्ष से अधिक के कारावास का दण्ड प्रावधानित है; या

(vi) यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण हो कि वह व्यक्ति किसी समूह या संगठन का सदस्य रहा है या है,या किसी समूह, संगठन या व्यक्ति के साथ उसका संबंध है या रहा है; जो निम्नलिखित अपराधों में लिप्त हो :

(क) व्यक्तियों की तस्करी का अपराध; या

(ख) राज्य के विरूद्ध अपराध,महिला एवं बाल अपराध,गिरोहबंद,स्वापक तथा मनोत्तेजक पदार्थ संबंधी अपराध,आयुध अधिनियम संबंधी अपराध,विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन संबन्धी अपराध, नरसंहार का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध , युद्ध अपराध,

या या ऐसा अपराध जो अन्यथा गंभीर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय हो; भले ही व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा गठित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है या नहीं; या

(vii) व्यक्ति का अतीत और वर्तमान आचरण आपराधिक हो या;

(viii) व्यक्ति अच्छे चरित्र का नही है; या

(ix) सत्यापन अधिकारी द्वारा उचित एवं विश्वसनीय लिखित आधारों पर यह उल्लेख किया गया हो कि अगर उस व्यक्ति को विदेश में प्रवेश करने या रहने की अनुमति दी गयी, तो एक जोखिम है कि वह व्यक्ति:

(क) विदेशी राज्य में आपराधिक आचरण में लिप्त होगा; या

(ख) विदेशी राज्य में किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करना, छेड़छाड़ करना, डराना या धमकाना आदि कारित करेगा; या

(ग) भारतीय समुदाय के एक वर्ग को बदनाम करेगा; या

(घ) भारतीय समुदाय में या उस समुदाय के एक वर्ग में कलह को भड़कायेगा; या

(ड़) भारतीय समुदाय के लिये या उस समुदाय के एक वर्ग के लिये एक खतरे का प्रतिनिधित्व करेगा।

(x) यदि व्यक्ति ने किसी ऐसे कार्यक्रम या कार्यकलाप में भाग लिया हो-

(क) जिनका लक्ष्य भारतीय संविधान का उच्छेदन करना हो; या

(ख) जिनका लक्ष्य संगठित रूप से कानून को तोड़ना या उसकी अवज्ञा करना हो,जिसमें हिंसा भी सम्मिलित हो; या

(ग) जो भारत की प्रभुता तथा अखण्डता या राज्य की सुरक्षा के हित के विरूद्ध हो :या

(घ) जो धर्म,प्रजाति,भाषा,जाति या सम्प्रदाय के आधार पर जनता के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना उत्पन्न करता है।

2- उ0प्र0 के निवासित भारतीय नागरिको को वीजा निर्गत करने के पूर्व उनके चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में निर्धारित उपरोक्त मापदण्डों के अनुपालन के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि:-

(I) वीजा निर्गत किये जाने के पूर्व इस आशय का अण्डरटेकिंग भी ले लिया जाये कि "वीजा या आव्रजन हेतु उ0प्र0 में निवासित भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता की अक्षुण्णता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तथा वह ऐसा कृत्य भी नहीं करेगा जो भारत के हितों के प्रतिकूल हो।"

(II) चरित्र सत्यापन प्राधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करते समय,अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में उल्लेख भी कर दिया जाए जिससे कि सत्यापन अधिकारी वांछित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट मत अंकित कर सके।

(III) भविष्य में उपर्युक्त वर्णित उददेश्यों हेतु चरित्र प्रमाण पत्र विनिर्दिष्टितया निर्गत किये जाएं तथा तदनुसार तत्संबंधी पोर्टल पर उक्त से संबन्धित व्यवस्था यथापेक्षित संशोधित/परिवर्धित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0- 135/छः/वीजा-4-2022 तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - क्षेत्रीय विदेशी पंजीयन अधिकारी, लखनऊ/बरेली/गाजियाबाद ।

2- क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ/बरेली/गाजियाबाद ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव।